श्री बालेश्वर राम : कमीशन मुकर्रर करने से कोई फायदा नहीं होगा। यह शीत लहर या हीट-वेव जो चलती है, आपने सुना होगा दो साल पहले इंग्लैण्ड में हीट-वेव चली थी जिसमें कई लोग मर गए थे। इसी प्रकार से अगर शीत लहर न भी हो, कम ठण्ड में भी लोग मर सकते हैं। बहरहाल यह जो समस्यायें हैं इनके समाधान में आपको हमारा हाथ बटाना चाहिए। इस समस्या की ओर हम पूरी तरह से जागरूक हैं।

PETITION *RE* INCENTIVES AND FACILITIES TO SCIENTIFIC/ ELECTRONIC INSTRUMENTS EXPORTERS IN AMBALA CANTT.

SHRI SURAJ BHAN (Ambala): I beg to present a petition signed by Shri Anil Jain and others regarding incentives and facilities to scientific/ electronic instruments exporters in Ambala Cantt.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 14.05 hrs.

13.03 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till five minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at eleven minutes past fourteen of the Clock.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 21st December, 1981, will consist of:—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Rajya Sabha:
   (a) The Plantation Labour (Amendment) Bill, 1981.
   (b) The Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Amendment Bill, 1981.
   (c) The Pharmacy (Amendment) Bill, 1981.
3. Consideration and passing of the Aligarh Muslim University (Third Amendment) Bill, 1980.
4. Discussion on the Sixth Five Year Plan on a motion to be moved by the Minister of Planning;
5. Discussion on the Motion for modification of Maruti Limited. (Acquisition and Transfer of Undertakings) Rules, 1981, given notice of by Sarvashri N. K. Shejwalker and Satish Agarwal on Tuesday, the 22nd December, 1981.
6. Discussion on the Motion for annulment of All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 1981, given notice of by Sarvshri N. K. Shejwalkar and Phool Chand Verma on Wednesday, the 23rd December, 1981.

SHRI BHEEKHABHAI (Banswara): I suggest that the following items may be included in the next's business Steps for a **permanent**

[Shri Bheekhabhai]

solution of acute and recurring famine in Rajasthan, specially in its Southern parts covering Dungarpur, Banswara and Udaipur districts.

Rajasthan is known the world over for its 'Thar desert' which covers most of the State in the South as well as in its West. In spite of our great achievement on the agricultural as well as industrial fronts during the last three decades and more, it is a matter of great concern that practically nothing has been done on a permanent basis for the development of this area. Many urgent measures like provision of water, for drinking as well as irrigation purposes, creation of means of livelihood by encouraging cottage industry type of works, etc., should be immediately taken up by the Central Government which would not only provide a permanent solution to various problems of the area but would also create employment opportunities for lakhs of hunger-stricken people of this area. Planning Ministry should particularly devise immediately certain Centrally sponsored schemes in this matter so that later on the State Government could provide feed back services.

राजस्थान, जोकि देश का पिछड़ा राज्य है, और जिसको कि सरकार से अधिक ध्यान अपेक्षित है, में दूर संचार, टी० वी० एवं रेडियो की व्यवस्थाओं में पूर्णरूपेण उत्थान शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। इस ओर जो कदम अभी और एकदम उठाये जाने चाहियें, उनमें से कुछेक निम्न हैं:

1. सीमावर्ती जिलों में तुरन्त काफी दूरसंचार एवं रेडियो व्यवस्था का अवलोकन एवं उत्थान।

2. जहां-जहां छोटे ट्रांसमीटर लगे हुए हैं उनमें धीरे-धीरे इजाफा।

3. जयपुर टी०बी० केन्द्र को अविलम्ब एक पूर्णरूपेण टी० वी० केन्द्र में परिवर्तन।

मेरा सूचना एवं प्रसारण मंत्री से अनुरोध है कि वे इस बारे में अपने स्तर पर तुरन्त कोई कार्यवाही करें।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 18-12-81 की कार्य सूची के मद संख्या 12 में आगामी सप्ताह के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का सुझाव देता हूं:

(1) अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्राचीन ऐतिहासिक नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना पांचवीं शताब्दी में हुई जो तेरहवीं सदी के प्रारम्भ तक विश्व के एक बड़े भू-भाग के विद्यार्थियों के लिए आकर्षण और विद्यार्जन का केन्द्र बना रहा।

बौद्ध देशों के विद्यार्थी नालन्दा को पवित्र तीर्थ स्थान मानते हैं। उनकी उत्कट अभिलाषा एवं आकांक्षा नालन्दा विश्वविद्यालय की उपाधियों को प्राप्त करने की होती है, पर अध्ययन के बाद जब उन्हें मगध विश्वविद्यालय की उपाधियां मिलती हैं तब उन्हें गहरा मानसिक और हार्दिक आघात पहुंचता है।

बिहार राज्य में एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। नालंदा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वस्तुगत एवं बाह्यगत समस्त आधार तैयार हैं।

अतः नालन्दा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के प्रश्न को विचारार्थ अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जावे।

(2) देश भर के अधिवक्ता (एडवोकेट्स) विशेषकर युवा अधिवक्ता सरकार से कई

प्रकार की सुविधाओं की मांग लम्बे अरसे से कर रहे हैं।

बिहार में अधिवक्ताओं ने कानूनी पेशा का राष्ट्रीयकरण अधिवक्ताओं के लिए भविष्य निधि, जीवन-निर्वाह निधि और पेंशन की व्यवस्था, प्रत्येक अधिवक्ता को 25 हजार रुपए का ऋण और विधि स्नातकों को तकनीकी स्नातकों के समकक्ष सुविधा प्रदान करने आदि की मांगों को लेकर 15 दिसम्बर, 1981 से अदालतों का बहिष्कार और जेल भरो अभियान शुरू कर दिया है।

देश के कई अन्य प्रांतों में भी इन मांगों को लेकर अधिवक्ता आन्दोलन कर रहे हैं। अतः केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करके स्थिति को बिगड़ने से बचाए एवं यह विषय आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं अगले सप्ताह के लिए जो विषय सुझाना चाहता हूं वे इस प्रकार हैं :-

'दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापकों एवं कर्मचारियों का आन्दोलन'

दिल्ली विश्वविद्यालय के नौ हजार कर्मचारियों ने गत 23 नवम्बर को आठ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की अभियान समिति के आह्वान पर देश के विभिन्न भागों से आए करीब दस लाख मजदूरों, खेत मजदूरों, मध्यम वर्गीय कर्मचारियों तथा गरीब किसानों के साथ महंगाई, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले, काले कानूनों के खिलाफ तथा किसानों को लाभकारी मूल्य देने की मांग को लेकर संसद के सामने बोट क्लब की शानदार रैली में भाग लिया था। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इसके लिए उनका एक दिन का वेतन काट लिया है। इसके पहले सन् 1980 में कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल की थी, जिसमें उनकी नौ दिन की छुट्टियां काट ली गईं।

इन हमलों के खिलाफ तथा रामजस कालेज के प्रिंसिपल को निलंबित कर उनके विरुद्ध जांच करवाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं। शीघ्र हस्तक्षेप नहीं करने से स्थिति बिगड़ सकती है।

विश्वविद्यालय के छः हजार शिक्षकों ने अभी हाल में अपनी सात-सूत्री तथा राव तुलाराम कालेज से संबंधित पांच-सूत्री मांगों को लेकर एक सप्ताह की हड़ताल की थी। देश के अन्य विश्वविद्यालयों में स्थिति विस्फोटक है। अतः इन पर विचार करना आवश्यक है।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुल्क में अकलियत को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दस्तूर में आर्टिकल 30 के तहत अपने तालीमी इदारे चलाने का बुनियादी हक इनको हासिल है। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर इनको अपने दस्तूरी और आइनी हक से महरूम किया जा रहा है। बंगलौर में 1963 से कायम शुदा सेंट जार्ज मैडीकल कालेज का इलहाक (एफिलिएशन) खत्म कर दिया गया है। इस वाहिद कैथोलिक मैडीकल कालेज को तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकलियती किरदार की बहाली के लिए बिल पार्लिमेंट में मार्च, 1980 से पेश है। इस दरमियान दो बार तरमीम के बावजूद अभी तक इस पर बहस और मंजूरी का नम्बर नहीं आ रहा है जब कि हुकमरान पार्टी और मुल्क की करीब-करीब सभी सियासी पार्टियां इस बात पर

[श्री अशफाक हुसैन]

मुत्तफिक हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकलियती किरदार को बिला ताखीर बहाल किया जाए। उत्तर प्रदेश और मुल्क के दूसरे हिस्सों में अकलियती तालीमी इदारों को अपने स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन में तबदीली लाने पर मजबूर किया जा रहा है जिससे अकलियती इदारों को भारत के दस्तूर के आर्टिकल 30 के ज़रिये हासिल शुदा हकूक पर आंच आएगी। उत्तर प्रदेश और मुल्क की दूसरी रियासतों में उर्दू को इलाकाई ज़बान का दर्जा देने में ताखीर की जा रही है। सरकारी और पब्लिक सैक्टर की मुलाजिमतों में अकलियत की नुमाइंदगी उनकी आबादी के तनासुब का एक चौथाई भी नहीं है। तजारत के मैदान में भी अकलियत के लोग बहुत पीछे हैं। मुस्लिम औकाफ की जायदाद पर नाजायज और जबरी कब्जे की शिकायतें सारे मुल्क में हैं। इन सभी अकलियती मसाइल पर मैं अगले हफ्ते बहस जरूरी समझता हूं।

पिछले अगस्त और सितम्बर के सैलाब की वजह से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती जिलों में बड़ी तादाद में कच्चे पक्के और फूंस के मकान गिर गए हैं। इन मकानात की मरम्मत और तामीर के लिए अभी तक इमदादी रकम इनको मुहैया नहीं की जा सकी है। जिला अधिकारी फंड न होने से अपनी लाचारी जाहिर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते इस पर भी पार्लिमेंट में बहस का मौका निकाला जाए।

[شری اشفاق حسین (مہاراج گنج):

جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ملک میں اقلیت کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے - دستور میں آرٹیکل ۳۰ کے تحت اپنے تعلیمی ادارے چلانے کا بنیادی حق حاصل ہے - لیکن مختلف جگہوں پر ان کو ان کے دستوری اور آئینی حق سے محروم کیا جا رہا ہے - بنگلور میں ۱۹۶۳ع سے قائم شدہ سینٹ جانسن میڈیکل کالج کا الحاق (ایفیلئیشن) ختم کر دیا گیا ہے - اس واحد کیتھولک میڈیکل کالج کو طرح طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے - علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی بحالی کے لئے بل پارلیامینٹ میں مارچ ۱۹۸۰ع سے پڑا ہے - اس درمیان دوبار ترمیم کے باوجود ابھی تک اس پر بحث اور منظوری کا نمبر نہیں آ رہا ہے - جب کہ حکمران پارٹی اور ملک کی قریب سبھی سیاسی پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو بلا تاخیر بحال کیا جائے - اترپردیش اور ملک کے دوسرے حصوں میں اقلیتی تعلیمی اداروں کو اپنے اسکیم آف ایڈمنسٹریشن میں تبدیلی لانے پر مجبور کیا جا رہا ہے - جس سے اقلیتی اداروں کو بھارت کے دستور کے آرٹیکل ۳۰ کے ذریعے حاصل شدہ حقوق پر آنچ آئے گی - اترپردیش اور ملک کی دوسری ریاستوں میں اردو کو علاقائی زبان کا درجہ دینے میں تاخیر کی جا رہی ہے - سرکاری اور پبلک سیکٹر کی ملازمتوں میں

اقلیت کی نمائندگی ان کی آبادی کے تناسب کا ایک چوتھائی بھی نہیں ہے - تجارت کے میدان میں بھی اقلیت کے لوگ بہت پیچھے ہیں مسلم اوقاف کی جائداد پر ناجائز اور جبری قبضے کی شکایت سارے ملک میں ہے - ان سبھی اقلیتی مسائل پر میں اگلے ہفتے بحث ضروری سمجھتا ہوں -

پچھلے اگست اور ستمبر کے سیلاب کی وجہ سے اتر پردیش کے گورکھپور اور بستی ضلع میں بڑی تعداد میں کچے پکے اور پھوس کے مکان گر گئے ہیں - ان مکانات کی مرمت اور تعمیر کے لئے ابھی تک امداد رقم ان کو نہیں مہیا کی جا سکی ہے -

ضلع ادھیکاری فنڈ نہ ہونے سے اپنی لاچاری ظاہر کر رہے ہیں - میں چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے اس پر بھی پارلیامینٹ میں بحث کا موقع نکالا جائے -]

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : मैं आगामी सप्ताह के संसदीय कार्य मंत्री के वक्तव्य में निम्न दो बातें सम्मिलित करना चाहता और इसके बारे में वक्तव्य दूंगा।

धौलपुर (राजस्थान) में देश के विभिन्न भागों से भोली-भाली महिलाओं एवं स्कूल कालेजों की लड़कियों को भगा कर धौलपुर में उनकी बेची बाजार में धड़ल्ले से चलाई जाती हैं। आज भी इलाहाबाद, आगरा, बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े-बड़े नगरों में यहीं से खरीद कर वेश्यालयों को चलाया जा रहा है। नारी ममता की प्रतीक मां और बहन है और स्त्री के रूप में अर्द्धांगिनी है। उनकी बेची भारतीय संस्कृति और मर्यादाओं के प्रतिकूल है।

बिहार के अनेक भागों में लोग अपनी जवान बहू और बेटियों को जमींदारों के यहां रहन रखते हैं। इन्सान की मजबूरियों और मानवता के सिद्धान्तों का यह एक उपहास है। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर अगले सप्ताह बहस का मौका दिया जाना चाहिये।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बिल को सदन में रखने के बाद भी उस पर चर्चा नहीं हुई है जिससे देश के अल्प संख्यकों में घोर असन्तोष है। मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह उसे सदन में बहस के लिए प्रस्तुत किया जाए।

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly): I would like that the following be included in the next week's business of the House.

The International Year of the disabled is to end this month. The Central Government has not announced any comprehensive plan and policy for the disabled. The Government was reported to have promised to offer jobs to registered blind unemployed persons but very little progress has been made in this regard. A Committee was formed to make suitable laws in the interest of the blind and other disabled persons but it has not come out with the report. Very recently the Conference organised by the International Federation of the Blind held on 11th and 12th December, 1981 demanded concrete action for the welfare of the 9 million blind in our country and millions of other disabled persons.

[Prof. Rup Chand Pal]

There have been complaints of gross violation of I.L.O., contentions in our country. There are reports of arbitrary termination of services of employees in public service, secret orders to Railway Officers to victimise Union Workers in the name of discipline. non-implementation of agreements in Public Sector Undertakings, police interference with Trade Union Workers and even murder of a few leaders in some places. The Trade Union rights of the workers in our country are being severely trampled. I would like that a discussion be held in the House next week on these two very serious matters.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay-North-Central): Sir, I suggest that the following issues be included in the list of business for the week commencing the 21st December, 1981.

Number 1. Demand to institute an impartial inquiry by the Central Government to investigate into the allegations made by the Chairman and other spokesmen of the National Dairy Development Board. The fire at the National Dairy Development Board's vegetable plant in Bhavnagar, Saurashtra, on the 6th of December had destroyed stocks worth more than a crore of rupees. It is alleged by the Chairman and the spokesmen of N.D.D.B., that alarmed by the success of the Cooperative venture to protect groundnut cultivators and consumers, the vested interests have been trying to sabotage the scheme. The murderous attack on two top officials of N.D.D.B. and 'accidental' death of two executives and a scientific assistant were the previous attempts of sabotage which were brought to the notice of the State Government which had remained unmoved.

In the interests of the cultivators and the consumers, I request the Central Government to assure the House to institute an impartial inquiry into the allegations.

Number 2. Muslim women's liberty in danger. Muslim women are prevented from seeing a film by a few organisations which amounts to infringement on the democratic rights of the Muslim women who have equal rights as any other citizen. I would request the Minister of Home Affairs to make a statement in the House stating what steps are being taken by the Government to stop the attempts of such organisations which have taken the law into their hands.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला): उपाध्यक्ष जी, मैं आगामी सप्ताह की कार्यवाही में दो बातें सम्मिलित कराना चाहता हूँ :

देश की शिक्षा प्रणाली बराबर खर्चीली और उद्देश्य-विहीन होती जा रही है जिससे देश की भावी पीढ़ी को कोई भी उद्देश्य पूरा करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। पहली कक्षा से लेकर शिक्षा के अन्तिम स्तर तक पूरी शिक्षा प्रणाली में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होना चाहिये और पूरी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त शिक्षा इस प्रकार की हो कि देश की बेरोजगारी मिटाने और देश के औद्योगिक विकास में कारगर सिद्ध हो सके।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में स्टील उचित रूप से उपलब्ध न होने के कारण व बिजली व कोयला सही मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन काफी प्रभावित हो रहा है और जिस रूप में इसका औद्योगिक विकास होना चाहिये था, उस सीमा तक नहीं हो पा रहा है। इसलिये उत्तर प्रदेश के मध्य में एक स्टील प्लान्ट और बिजली उत्पादन के बड़ी क्षमता वाले उत्पादन केन्द्र खुलने चाहियें और कोयले की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष जी, मुझे आज की कार्यसूची की मद संख्या 12 में निम्नलिखित संशोधन करने की अनुमति दी जाय :

(1) बिहार और उत्तर प्रदेश में सभी चीनी मिलों के खिलाफ एवं सरकार की किसान विरोधी नीति की वजह से गन्ना पैदा करने वाले किसान चीनी मिलों को गन्ना देना 21 दिसम्बर, 1981 से बन्द कर देंगे।

इससे होने वाली भयावह स्थिति पर अगले सप्ताह में विचार होना चाहिये।

(2) बिहार में गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहने के कारण आवश्यक सेवायें सुचारु रूप से नहीं चल रही हैं जिसके परिणामस्वरूप राज्य में स्थिति बिगड़ रही है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये कि वहां आवश्यक सेवायें संतोषजनक ढंग से चलती रहें।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Hon. Members have made certain useful suggestions. And my Hon. friend has anticipated the reply. Sir, this would be brought to the notice of the Business Advisory Committee.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not in this Session.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Of course, when the Business Advisory Committee meets.

There are other things which they have mentioned. We have allotted some time for discussion on the Sixth Five Year Plan The items which the Hon. Members have mentioned could be very well brought out during that discussion.

About the Aligarh Muslim University, we have included it in the items of business for the next week. We are bringing forward an amendment Bill.

About other matters, about famine in Rajasthan and all that, during the last session, there was a Calling Attention notice also which was discussed. As I said earlier, this matter could be discussed when the discussion on the Sixth Plan is taken up in the House.

As regards the education system and setting up of a steel plant in Uttar Pradesh and all these matters, I think, some of them could be discussed during the Plan discussion.

About the alleged stoppage of supply of sugarcane to sugar mills in Bihar and the strike by non-gazetted employees in Bihar, these are State-matters. I do not think these matters strictly come under the purview of the Central Government.

Whatever useful suggestions have been made and rightly pointed out will be placed before the Business Advisory Committee at the appropriate time.

14-32 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE* APPROVAL OF NOTIFICATION DECLARING SERVICES UNDER ASSAM ELECTRICITY BOARD AS ESSENTIAL SERVICES WITHIN THE STATE OF ASSAM AND SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (ASSAM), 1981-82:

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up item Nos. 13 and 14 together.